

**प्रश्न:** गैर ऋणी किसान द्वारा फसल बीमा लेने के लिए कौन-से दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य हैं?

**उत्तर:** गैर ऋणी किसानों को भूमि स्वामित्व दस्तावेज - अधिकार का रिकॉर्ड (आरओआर) और भूमि कब्जा प्रमाण पत्र (एलपीसी), आधार कार्ड (नवीनतम), बैंक पासबुक (प्रथम पृष्ठ - बैंक खातों के विवरण के साथ) और फसल बुआई प्रमाण पत्र (यदि राज्य सरकार की अधिसूचना में अनिवार्य किया गया हो) आदि दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करवाने होते हैं। बटाईदार किसान या किराए पर ली गयी भूमि की स्थिति में, भूमि के मालिक के साथ अनुबंध समझौता, किराया/पट्टा विलेख इत्यादि दस्तावेज अनिवार्य हैं।



**प्रश्न:** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा इकाई क्या हैं?

**उत्तर:** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर बीमा इकाई का चयन किया जाता है। राज्य सरकारें, प्रमुख फसलों के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत या किसी अन्य समकक्ष इकाई (जैसे राजस्व मंडल/पटवार हल्का आदि) को और लघु फसलों के लिए जिला/तालुका या इनके समकक्ष इकाई को बीमा इकाई के रूप में अधिसूचित कर सकती हैं।

**प्रश्न:** स्थानीय आपदाओं से फसल में नुकसान होने पर सूचना दर्ज करने की प्रक्रिया क्या हैं?

**उत्तर:** प्रभावित बीमित किसान को आपदा के 72 घण्टे के अन्दर सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नम्बर या क्रॉप इन्श्योरन्स ऐप पर अथवा लिखित में अपने बैंक/कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सूचित करवाना आवश्यक है। जिसमें किसान का नाम, मोबाईल नम्बर, अधिसूचित पटवार सर्किल, बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, आपदा का प्रकार, प्रभावित फसल आदि की सूचना अंकित होनी चाहिए।



## प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

अधिक जानकारी के लिए : **किसान कॉल सेंटर (1800-180-1551)**, सीएससी, बैंक या इश्योरेंस एजेंट से संपर्क करें और अधिसूचित फसलों, बीमित राशि और अपने गांव में योजना के लिए नामांकन की अंतिम तिथि के बारे में जानकारी पाएं।

@PMFasalBimaYojana @pmfby www.pmfby.gov.in Crop Insurance (Farmer's app)



अधिक जानकारी के लिए कृपया अपनी नजदीकी बैंक शाखा/सीएससी से संपर्क करें या हमारे टोल फ्री नंबर 18002091111 पर संपर्क करें

एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालय: फ्लोरम बिल्डिंग, 9वीं मंजिल, ए और बी विंग, सहार रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400099। विज्ञापन में दी गई जानकारी सांकेतिक स्वरूप की है। जोखिम कारकों, नियमों और शर्तों पर अधिक जानकारी के लिए कृपया विक्री संपन्न करने से पहले सेल्स ब्रोशर और पॉलिसी की शब्दावली का ध्यान से पढ़ें। एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए। आईआरडीएआई पंजी. क्र. 144 दिनांक 15/12/2009। सीआईएन: U66000MH2009PLC190546 प्रदर्शित एसबीआई लोगो भारतीय स्टेट बैंक का है और एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा लाइसेंस के अंतर्गत उपयोग में लाया गया है। वेबसाइट: www.sbigeneral.in, टोल फ्री: 18001021111। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना IRDAN144CP0003V02201617। विज्ञापन क्रमांक: ADLEF/FEB/21-22/4380.



कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय  
भारत सरकार



प्रधानमंत्री  
फसल बीमा योजना



SBI general  
INSURANCE  
SURAKSHA AUR BHAROSA DONO

# जावेंगे आप तो मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) हेतु किसानों के सहायतार्थ प्रश्नोत्तरी



कृषि रक्षक




आजादी के अमृत महोत्सव पर हमारा संकल्प है कि किसानों को मिले मौसम के खतरों से आजादी। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देती है प्राकृतिक आपदाओं से फसल को सुरक्षा। पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। अब देश के करोड़ों किसान गर्व से कहेंगे - मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आने वाले रबी 2022 के मौसम में आप भी इस योजना से जुड़ सकते हैं।

## प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु किसानों के सहायतार्थ प्रश्नोत्तरी:

### प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

**उत्तर:** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसलों से जुड़े हुए जोखिमों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का माध्यम है। इससे किसानों को अप्रत्याशित या प्रतिकूल मौसम की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है।




### प्रश्न: फसल बीमा कौन करवा सकता है?

**उत्तर:** ऋणी एवं गैर ऋणी (बटाईदार/साझेदार) किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित की गई फसलों के बीमा का लाभ उठा सकते हैं। ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। पंजीकरण की अंतिम तिथि सामान्यतः 31 जुलाई / 31 दिसंबर है। अपने क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों एवं उसके अंतिम तिथि के लिए सीएससी केंद्र, पीएमएफबीवाई पोर्टल, इंश्योरेंस कंपनी या कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

ऋणी किसान आवेदन की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले तक सम्बंधित बैंक शाखा में ऑफ्ट-आउट फॉर्म या स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करके योजना से बाहर हो सकते हैं।

### प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए बीमित राशि क्या होगी?

**उत्तर:** बीमित राशि का निर्धारण जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा फसल के वित्त मान (Scale of Finance) के आधार पर या गत वर्षों में आई सम्बंधित फसल की औसत उपज एवं फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किया जाता है।



### प्रश्न: फसल बीमा के लिए किसान द्वारा देय प्रीमियम दर क्या है?

**उत्तर:** खरीफ मौसम के लिए 2 प्रतिशत, रबी मौसम हेतु 1.5 प्रतिशत, व्यावसायिक और बागवानी फसलों हेतु बीमित राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत।

### प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन-कौन से जोखिम शामिल हैं?

**उत्तर:** 1. फसलों की बुवाई न कर पाने/असफल अंकुरण जोखिम: बीमित क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसम/मौसमी दशाओं के कारण बुवाई/पौध रोपण/अंकुरण न होने से हुई हानि से सुरक्षा प्रदान करना।  
2. खड़ी फसल (बुवाई से कटाई तक): सूखा, शुष्क स्थिति, बाढ़, जलप्लावन, व्यापक रूप से कीटों व रोगों के प्रभाव, भूस्खलन, प्राकृतिक कारणों से आग, आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि तथा चक्रवात जैसे रोके न जा सकने वाले जोखिमों के कारण उपज नुकसान का आच्छादन करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा आवरण प्रदान किया जाता है।



3. फसल कटाई के उपरान्त नुकसान: यह प्रावधान ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा और बेमौसम वर्षा होने की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर खेत में काटकर व फैलाकर/छोटे गड्ढरों में बांधकर सुखाने हेतु रखी गई फसलों को फसल कटाई के पश्चात् केवल 14 दिनों की अधिकतम अवधि में हानि होने की स्थिति में संरक्षण प्रदान करता है।  
4. स्थानीय आपदाएं: योजना के तहत स्थानीयकृत जोखिमों/आपदाओं यथा ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटने तथा अधिसूचित इकाई अथवा किसी खेत के हिस्से पर बिजली गिरने के कारण प्राकृतिक आग लगने से फसल को होने वाले नुकसान को व्यक्तिगत किसानों के खेत के स्तर पर बीमा सुरक्षा प्रदान की गयी है।



### प्रश्न: इस योजना के तहत गैर-ऋणी किसान बीमा कैसे ले सकते हैं?

**उत्तर:** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्राप्त करने के इच्छुक गैर-ऋणी किसान निकटम बैंक शाखा/सहकारी समिति/अधिकृत चैनल पार्टनर/जन सेवा केंद्र (सीएससी)/बीमा कम्पनी या उनके अधिकृत एजेंट से सम्पर्क कर सकते हैं या निर्धारित तिथि के अंतर्गत स्वयं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल [www.pmfby.gov.in](http://www.pmfby.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं।

### प्रश्न: क्या ऋणी किसान बीमित फसल में परिवर्तन करा सकते हैं एवं कब तक?

**उत्तर:** हाँ, ऋणी किसान बीमित फसल में परिवर्तन करवा सकते हैं, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नामांकन की अंतिम तिथि से दो दिन (कार्य दिवस) पहले तक किसान अपनी फसल में परिवर्तन की सूचना सम्बंधित बैंक शाखा में दे सकते हैं।



**ಪ್ರಶ್ನೆ:** ಪಿಎಮ್‌ಎಫ್‌ಬಿವೈ ಹಾಗೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿಸಿಐಎಸ್ ನಡವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

**ಉತ್ತರ:** ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಪಿಎಮ್‌ಎಫ್‌ಬಿವೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಪಾವತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಇಳುವರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿಸಿಐಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್‌ಗಳಾಗಿ, ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಗಾಳಿಯ ವೇಗ, ಆದ್ಯತೆ ಮುಂತಾದ ಹವಾಮಾನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಳೆಕಾನಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

**ಪ್ರಶ್ನೆ:** ಒಂದೇ ಪ್ರವೋಸಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಇನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಯಾವುವು?

**ಉತ್ತರ:** ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು (ಪ್ರವೋಸಲ್ ಅನ್ನು) ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

**ಪ್ರಶ್ನೆ:** ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಒಂದು ಭಾಗದ ಜಮೀನಿನ ಬೆಳೆಗೆ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ?

**ಉತ್ತರ:** ಇಲ್ಲ.

**ಪ್ರಶ್ನೆ:** ವಿಮೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ (ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್) ರಜಾದಿನವಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ?

**ಉತ್ತರ:** ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸದ ದಿನವು ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

**ಪ್ರಶ್ನೆ:** ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿಸಿಐಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ?

**ಉತ್ತರ:** ಹೌದು, ಬೆಳೆ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾದ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮಾಡಬಹುದು.

**ಪ್ರಶ್ನೆ:** ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಬೇಡವೆಂದಾದರೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾಲಿಗ್ಲೋಬ್‌ಬಹುದೇ?

**ಉತ್ತರ:** ಹೌದು, ಸಾಲ-ಪಡೆಯದ ರೈತರಾಗಿ ಅವರು ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾಲಿಗ್ಲೋಬ್‌ಬಹುದು.

**ಪ್ರಶ್ನೆ:** ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ?

**ಉತ್ತರ:** ಹೌದು. ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು; ಎ) ಪ್ರವೋಸಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಬಿ) ಕಂಪನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ.

**ಪ್ರಶ್ನೆ:** ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರವೋಸರ್‌ರಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

**ಉತ್ತರ:** ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು ಪ್ರವೋಸರ್ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸದರೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ವಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಭೂಮಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರವೋಸಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.

**ಪ್ರಶ್ನೆ:** ಒಬ್ಬ ರೈತ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅವನು ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ವಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೇ?

**ಉತ್ತರ:** ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪಡೆದಂತೆ ಆರ್‌ಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೈತರು ಬೆಳೆ ವಿಮೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.

**ಪ್ರಶ್ನೆ:** ಒಂದೇ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ದಾಖಲಿಸಬಹುದೇ ?

**ಉತ್ತರ:** ಹೌದು. ಒಬ್ಬ ರೈತನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಿತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

**ಪ್ರಶ್ನೆ:** ರೈತರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

**ಉತ್ತರ:** ಒಬ್ಬರು ರೈತರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು.

**ಪ್ರಶ್ನೆ:** ಆರ್‌ಟಿಸಿಯು ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯು ಮಗನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದೇ ?

**ಉತ್ತರ:** ಇಲ್ಲ, ಪ್ರವೋಸರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಇರಬೇಕು.

**ಪ್ರಶ್ನೆ:** ಆಧಾರ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್‌ಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದೇ?

**ಉತ್ತರ:** ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಸ್ವವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

**ಪ್ರಶ್ನೆ:** ವಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಸೀಡಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ? ವಿಮಾ ಮೊತ್ತವು ಆಧಾರ್ ಖಾತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ?

**ಉತ್ತರ:** ಹೌದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಖಾತೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

**ಪ್ರಶ್ನೆ:** ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಲ ಪಡೆಯದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಮಾರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೇ?

**ಉತ್ತರ:** ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಾಲ-ಪಡೆಯದ ರೈತರು ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ವಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

**ಪ್ರಶ್ನೆ:** ಅರ್ಜಿಯ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು?

**ಉತ್ತರ:** ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿನಂತೆ, ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ವಿಮೆಯ ಅಂತಿಮ ಇತ್ಯರ್ಥದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

**ಪ್ರಶ್ನೆ:** ಜಂಟಿ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ನಿಯಮಗಳೇನು?

**ಉತ್ತರ:** ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೀಮಿಸಿ ಉಳಿದವರು ಎನ್‌ಒಸಿ (NOC) ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ರೈತರ ಆಧಾರ್‌ಅನ್ನು ನಮೋದಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

**ಪ್ರಶ್ನೆ:** ರೈತರು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹಳೆಯ ಆರ್‌ಟಿಸಿಯನ್ನು ತಂದರೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

**ಉತ್ತರ:** ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ರೈತರು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

**প্রশ্ন:** ঋণ বিহীন কৃষকে শস্য বীমা ল'বলৈ কি কি নথিপত্ৰ জমা দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে?

**উত্তৰ:** ঋণবিহীন কৃষকে মাটিৰ মালিকীস্বত্বৰ নথিপত্ৰ - অধিকাৰৰ ৰেকৰ্ড (আৰঅ'আৰ) আৰু ভূমি অধিকাৰ দখলৰ প্ৰমাণপত্ৰ (এলপিচি), আধাৰ কাৰ্ড (শেহতীয়া), বেংক পাছবুক (বেংক একাউন্ট বিৱৰণ সহ প্ৰথম পৃষ্ঠা), শস্যৰ বীজ ৰোপন প্ৰমাণপত্ৰ (যদি ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধিনিয়ম অনুসৰি বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে) আদি জমা দিয়াটো বাধ্যতামূলক। যদিহে মাটি আধি বা মাটি ভাড়াত লৈছে, মাটিৰ মালিকৰ সৈতে কৰা চুক্তিপত্ৰৰ নথি, ভাড়া/লীজ চুক্তিপত্ৰ বাধ্যতামূলক।



**প্রশ্ন:** প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ অধীনত বীমা গোট কি হয়?

**উত্তৰ:** প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ অধীনত, ক্ষেত্ৰ ভিত্তিৰ আধাৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা বীমা গোট নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰধান শস্যৰ বীমা গোট হিচাপে গাঁও/ গাঁও পঞ্চায়ত বা অন্য কোনো সমকক্ষ গোটক(যেনে ৰাজহ চক্ৰ) আৰু নূন্যতম শস্যৰ বাবে জিলা/তালুকা বা ইয়াৰ সমকক্ষ গোটক বীমা গোট হিচাপে মনোনীত কৰিব পাৰে।

**প্রশ্ন:** স্থানীয় দুৰ্যোগৰ ফলত হোৱা শস্য ক্ষতিৰ বিষয়ে জনোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি?

**উত্তৰ:** প্ৰভাৱিত হোৱা বীমাকৃত কৃষকে ঘটনাৰ ৭২ ঘটনাৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকভাৱে বীমা কোম্পানীৰ টোল ফ্ৰী নম্বৰ বা শস্য বীমা এপ বা বেংক/কৃষি বিভাগৰ বিষয়াৰ যোগেদি লিখিত ভাৱে জনোৱা আৱশ্যক। কৃষকৰ নাম, মোবাইল নম্বৰ, অধিসূচিত চাৰ্কল, বেংকৰ নাম, বেংক একাউন্ট নম্বৰ, দুৰ্যোগৰ প্ৰকাৰ, ক্ষতি হোৱা শস্য আদিৰ বিষয়ত তথ্য উল্লেখ কৰা উচিত।



**প্ৰধান মন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা**

অধিক তথ্য জানিবলৈ যোগাযোগ কৰক কিষাণ কল চেণ্টাৰ: 1800-180-1551


ওচৰৰ কৃষি কাৰ্যালয়, চিএছচি, বেংক বা বীমা এজেণ্টৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক আৰু অধিসূচিত শস্য, বীমাকৃত ধন আৰু আপোনাৰ গাঁওত এই আঁচনিৰ অধীনত নামভৰ্তি কৰাৰ অন্তিম তাৰিখৰ বিষয়ে তথ্য জানক।

@PMFasalBimaYojana pmfasalbimayojana PMFBY @pmfby @pmfby www.pmfby.gov.in Crop Insurance (Farmer's app) Google Play



**যিমনে জানিব সিমনে উপকৃত হ'ব**

প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ (পিএমএফবিআই) বিষয়ত কৃষকৰ সহায়ক হোৱা প্ৰশ্নোত্তৰ




আজাদীৰ অমৃত মহোৎসৱত আমাৰ সংকল্প যে কৃষকে পাওক বতৰৰ বিপদৰ পৰা স্বাধীনতা। সেয়েহে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰা শস্যৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে। পলিচিবোৰ বীমাকৃত কৃষকৰ ওচৰ পোৱাবলৈ আমি ফচল বীমা পলিচি বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া দেশৰ কোটি কোটি কৃষকে গৰ্বৰে ক'ব - মোৰ পলিচি মোৰ হাতত। আহিব লগা খাৰিফ ২০২৩ ৰ বতৰত আপুনিও এই যোজনাৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰিব।

## প্রধানমন্ত্রী ফচল বীমা যোজনাৰ (পিএমএফবিআই) বিষয়ত কৃষকৰ সহায়ক হোৱা প্ৰশ্নোত্তৰ

### প্ৰশ্ন: প্রধানমন্ত্রী ফচল বীমা যোজনা কি?

**উত্তৰ:** প্রধানমন্ত্রী ফচল বীমা যোজনা হৈছে কৃষকৰ শস্যৰ সৈতে জড়িত সমস্যাৰ ফলত হোৱা লোকচানৰ ক্ষতিপূৰণৰ কৰাৰ এক মাধ্যম। এই আঁচনিৰ যোগেদি, কৃষকৰ অপ্ৰত্যাশিত বা প্ৰতিকূল বতৰৰ ফলত হোৱা শস্যৰ লোকচানৰ ক্ষতিপূৰণ কৰা হয়।



কৃষি কাৰ্যালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব।

### প্ৰশ্ন: শস্য বীমা কোনে কৰাব পাৰে?

**উত্তৰ:** ঋণী বা ঋণ নোলোৱা (আধিয়াৰ/ ভাৰাতীয়া) সকলো কৃষকে অধিসূচীত ক্ষেত্ৰত কৰা অধিসূচিত শস্যৰ বীমাৰ সুবিধা ল'ব পাৰে। ঋণী বা ঋণ নোলোৱা কৃষকৰ বাবে এই যোজনা স্বেচ্ছামূলক হয়। আপোনাৰ অঞ্চলৰ অধিসূচিত শস্য আৰু অন্তিম তাৰিখৰ বিষয়ে তথ্য জানিবলৈ আপুনি চিএচচি চেন্টাৰ, পিএমএফবিআই প'ৰ্টেল, বীমা কোম্পানী বা

### প্ৰশ্ন: প্রধানমন্ত্রী ফচল বীমা যোজনাৰ অধীনত কৃষকৰ বাবে বীমাকৃত ধন কি হ'ব?

**উত্তৰ:** বীমাকৃত ধনৰ পৰিমাণৰ নিৰ্ধাৰণ জিলা স্তৰৰ টেকনিকেল সমিতিৰ দ্বাৰা শস্যৰ বিত্ত মানৰ (Scale of Finance) আধাৰত বা পূৰ্ব বছৰবোৰৰ শস্যৰ গড় উৎপাদন আৰু শস্যৰ নূন্যতম সমৰ্থিত মূল্যৰ আধাৰত কৰা হয়।



### প্ৰশ্ন: ফচল বীমাৰ বাবে কৃষকে দিয়া প্ৰিমিয়ামৰ হাৰ কি হ'ব?

**উত্তৰ:** খাৰিফ শস্যৰ বাবে ২.০%, ৰবি শস্যৰ বাবে ১.৫% আৰু বাণিজ্যিক আৰু উদ্যান শস্যৰ বাবে বীমাকৃত ধনৰ সৰ্বাধিক ৫%।

### প্ৰশ্ন: প্রধানমন্ত্রী ফচল বীমা যোজনাৰ অধীনত কোনবোৰ ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত হয়?

**উত্তৰ:** ১/ শস্যৰ বীজ ৰোপন/ গছ ৰোপন/ অংকুৰণ নোহোৱা সমস্যাৰ ৰোধ কৰা: বীমাকৃত অঞ্চলত প্ৰতিকূল বতৰ/ বতৰৰ অৱস্থা বা কম বৰষুণৰ ফলত শস্যৰ বীজ ৰোপন/গছ ৰোপন/অংকুৰণ নোহোৱা সমস্যা ৰোধৰ বাবে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে।



২/ পথাৰৰ শস্য (বীজ ৰোপনৰ পৰা শস্য কটালৈকে): খৰাং, শুকান অৱস্থা, বানপানী, জলপ্লাৱন, পোক আৰু ৰোগৰ ব্যাপক আক্ৰমণ, ভূমিখলন, বনজুই, বিজুলী, ধুমুহা, শিলাবৃষ্টি আৰু ঘূৰ্ণিবতাহ আদিৰ দৰে দুৰ্যোগৰ সময়ত হোৱা শস্যৰ ক্ষতি পূৰণ কৰাৰ বাবে এক সৰ্বাংগীন বিপদাশংকাৰ বীমা প্ৰদান কৰা হয়।

৩/ শস্য কটাৰ পিছৰ ক্ষতি: ব্যক্তিগত ভিত্তিত খেতি পথাৰত শস্য কাটি বা কটাৰ পিছত সৰু সৰু মুঠি কৰি শুকাবৰ বাবে মেলি ৰখাৰ সৰ্বাধিক ১৪ দিনৰ ভিতৰত যদি শিলাবৃষ্টি, ঘূৰ্ণিবতাহ, বা বৰষুণ আৰু আবতৰীয়া বৰষুণ হয় তেনে ক্ষেত্ৰত শস্যৰ ক্ষতিৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হয়।

৪/ স্থানীয় দুৰ্যোগ: এই আঁচনিৰ অধীনত, স্থানীয় দুৰ্যোগ/আকস্মিক দুৰ্ঘটনা যেনে শিলাবৃষ্টি, ভূমিখলন, জলপ্লাৱন, ডাৱৰ বিস্ফোৰণ আৰু অধিসূচিত অংশ বা খেতি পথাৰৰ আংশিক ভাগত বজ্ৰপাত পৰাৰ কাৰণে প্ৰাকৃতিক জুই লগাৰ ফলত হোৱা খেতিৰ লোকচানক কৃষকৰ ব্যক্তিগত খেতিৰ স্তৰত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হয়।



### প্ৰশ্ন: এই আঁচনিৰ অধীনত ঋণ নোলোৱা কৃষকে কেনেকৈ বীমা কৰাব পাৰে?

**উত্তৰ:** প্রধানমন্ত্রী ফচল বীমা যোজনাৰ অধীনত বীমা লাভ কৰিবলৈ ইচ্ছুক ঋণ নোলোৱা কৃষকে তেওঁলোকৰ ওচৰৰ বেংক শাখা/ সমবায় সমিতি/ কৰ্তৃত্বশীল চেনেল পাৰ্টনাৰ/ জন সেৱা কেন্দ্ৰ (চিএছচি)/ বীমা কোম্পানী বা সেইবোৰৰ কৰ্তৃত্বশীল এজেণ্টৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰে বা তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰিত দিনত বা তাৰ আগতে ব্যক্তিগত ভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় শস্য বীমা প'ৰ্টেল [www.pmfby.gov.in](http://www.pmfby.gov.in) ত গৈ অনলাইন আবেদন পত্ৰ পূৰণ কৰিব পাৰিব।

### প্ৰশ্ন: ঋণী কৃষকে বীমাকৃত শস্য সলনি কৰিব পাৰিবনে আৰু কেতিয়ালৈকে পাৰিব?

**উত্তৰ:** হয়, ঋণী কৃষকে তেওঁলোকৰ বীমাকৃত শস্য সলনি কৰিব পাৰিব। কৃষকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা স্থিৰ কৰা পঞ্জীয়নৰ অন্তিম দিনৰ দুদিন (কৰ্ম দিন) আগলৈকে সংশ্লিষ্ট বেংক শাখাত তেওঁৰ শস্য সলনি কৰাৰ তথ্য জনাব পাৰিব।

**प्रश्न:** गैर ऋणी किसान द्वारा फसल बीमा लेने के लिए कौन-से दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य हैं?

**उत्तर:** गैर ऋणी किसानों को, भूमि स्वामित्व दस्तावेज - अधिकार कारिकॉर्ड (ROR) और भूमि कब्जा प्रमाण पत्र (एलपीसी), आधार कार्ड (नवीनतम), बैंक पासबुक (प्रथम पृष्ठ - बैंक खातों के विवरण के साथ) और फसल बुआई प्रमाण पत्र (यदि राज्य सरकार की अधिसूचना में अनिवार्य किया गया हो) आदि दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करवाने होते हैं। बटाईदार किसान या किराए पर ली गयी भूमि की स्थिति में, भूमि के मालिक के साथ अनुबंध समझौता, किराया/पट्टा विलेख इत्यादि दस्तावेज अनिवार्य हैं।



**प्रश्न:** दावे का मूल्यांकन कैसे किया जाता है?

**उत्तर:** राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित टर्म शीट और अधिसूचित वेदर स्टेशन द्वारा दर्ज किए गए मौसम के आकड़ों के आधार पर दावों का मूल्यांकन किया जाएगा और मौसम के आकड़े प्राप्त होते ही दावों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दावा मूल्यांकन के लिए फसल सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि विशेष रूप से सरकारी अधिसूचित टर्म शीट में इसे विशेष तौर उल्लिखित न किया जाए।



## प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

अधिक जानकारी के लिए कृपया अपनी नजदीकी बैंक शाखा/सीएससी से संपर्क करें  
या हमारे टोल फ्री नंबर 18002091111 पर संपर्क करें

एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालय: फ्लूरोम बिल्डिंग, 9वीं मंजिल, ए और बी विंग, सहार रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400099। विज्ञापन में दी गई जानकारी सांकेतिक स्वरूप की है। जोखिम कारकों, नियमों और शर्तों पर अधिक जानकारी के लिए कृपया विक्री संपन्न करने से पहले सेल्स ब्रोशर और पॉलिसी की शब्दावलियाँ ध्यान से पढ़ें। एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए। आईआरडीआई पंजी. क्र. 144 दिनांक 15/12/2009। सीआईएन: U66000MH2009PLC190546 प्रदर्शित एसबीआई लोगो भारतीय स्टेट बैंक का है और एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा लाइसेंस के अंतर्गत उपयोग में लाया गया है। वेबसाइट: www.sbigeneral.in, टोल फ्री: 18001021111। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना IRDAN144CP0003V02201617। विज्ञापन क्रमांक: ADLEF/FEB/21-22/4380.



## प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना



SURAKSHA AUR BHAROSA DONO

# जावेंगे आप तो मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) हेतु किसानों के सहायतार्थ प्रश्नोत्तरी




आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमारा संकल्प है कि किसानों को मिले मौसम के खतरों से आज़ादी। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देती है प्राकृतिक आपदाओं से फसल को सुरक्षा। पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। अब देश के करोड़ों किसान गर्व से कहेंगे - मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आने वाले रबी 2022 के मौसम में आप भी इस योजना से जुड़ सकते हैं।

## प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु किसानों के सहायतार्थ प्रश्नोत्तरी:

**प्रश्न:** प्रधान मंत्री फसल बीमा के तहत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) क्या है ?

**उत्तर:** पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना एक मौसम सूचकांक आधारित बीमा योजना है जो किसानों को फसलों से जुड़े हुए जोखिमों की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का माध्यम है। यह मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे वर्षा, तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम के कारण खेतों को होने वाले नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है।




**प्रश्न:** फसल बीमा कौन करवा सकता है ?

**उत्तर:** ऋणी एवं गैर ऋणी (बटाईदार/साझेदार) किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित की गई फसलों के बीमा का लाभ उठा सकते हैं। ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। अपने क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों एवं उसके अंतिम तिथि के लिए सीएससी केंद्र, पीएमएफबीवाई पोर्टल, इंश्योरेंस कंपनी या कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

ऋणी किसान आवेदन की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले तक सम्बंधित बैंक शाखा में ऑफ्ट-आउट फॉर्म या स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करके योजना से बाहर हो सकते हैं।

**प्रश्न:** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए बीमित राशि क्या होगी ?

**उत्तर:** बीमित राशि का निर्धारण जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा फसल के वित्त मान (Scale of Finance) के आधार पर किया जाता है।



**प्रश्न:** RWBCIS के तहत कौन-कौन से जोखिम शामिल है ?

**उत्तर:** योजना के तहत निम्नलिखित जोखिम शामिल है;

- 1) वर्षा की कमी/अधिक वर्षा/बेमौसम वर्षा
- 2) तापमान की अस्थिरता, कम/उच्च तापमान
- 3) बीमारी अनुकूल मौसम
- 4) या इन सभी का संयोजन हो सकता है

**प्रश्न:** इस योजना के तहत कौन सी फसल को कवर किया जा सकता है और किसान द्वारा दिये जाने वाले प्रीमियम दर क्या है ?

**उत्तर:** ज्यादातर बागवानी और वार्षिक वाणिज्यिक फसले RWBCIS के अंतर्गत आती है और किसान द्वारा दिये जाने वाले प्रीमियम दर बीमित राशि का 5% या बीमाकिक प्रीमियम दर, जो भी कम है।



**प्रश्न:** इस योजना के तहत गैर-ऋणी किसान बीमा कैसे ले सकते हैं ?

**उत्तर:** फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्राप्त करने के इच्छुक गैर-ऋणी किसान निकटम बैंक शाखा/सहकारी समिति/अधिकृत चैनल पार्टनर/जन सेवा केंद्र (सीएससी)/बीमा कम्पनी या उनके अधिकृत एजेंट से सम्पर्क कर सकते हैं या निर्धारित तिथि के अंतर्गत स्वयं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल [www.pmfby.gov.in](http://www.pmfby.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं।

**प्रश्न:** क्या ऋणी किसान बीमित फसल में परिवर्तन करा सकते हैं एवं कब तक ?

**उत्तर:** हाँ, ऋणी किसान बीमित फसल में परिवर्तन करवा सकते हैं, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नामांकन की अंतिम तिथि से दोन (कार्य दिवस) पहले तक किसान अपने फसल में परिवर्तन की सूचना सम्बंधित बैंक शाखा में दे सकते हैं।